

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
फाईल नं. 14/120/U.P/2018-, ESDW
सुनवाई तिथि 10.09.2018 का कार्यवृत्त

श्री पंकज वर्मा, अपर जिलाधिकारी, राजस्व सुनवाई में उपस्थित थे।

अपर जिलाधिकारी ने सूचित किया कि पीड़िता को 4 बीघा भूमि आवंटन करने का प्रस्ताव था, किन्तु प्राथिनी शादी करके दूसरे गाँव में रह रही है। अतः, पीड़िता को गाँव में नियमानुसार भूमि आवंटन नहीं किया जा सकता। यह तय हुआ कि काशीराम आवास योजना के अंतर्गत पीड़िता को एक घर आवंटित किया जाए।

जिलाधिकारी दिनांक 20.09.2018 तक उपरोक्त पर कार्रवाई करके सूचित करेंगे। प्रकरण में पहले ही लगभग 8 वर्ष का विलंब हो चुका है। जबकि तत्काल राहत अपेक्षित थी। अतः जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अब और विलंब न हो।

कृत कार्रवाई की रिपोर्ट आने के पश्चात् सुनवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

(प्रो.(डा.) राम शंकर कठेरिया)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग